संख्या-223/2019/4237/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 14 अक्टूबर, 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक-2468/स.क./शिक्षा-अ/2/162/2019-20, दिनांक-27.09.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष को भी पृष्ठांकित है, में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-110000.00 लाख के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश धनराशि रू0-65516.00 लाख में से धनराशि रू0-21472.94 लाख वर्ष 2018-19 की देयता हेतु तथा रू0-35115.77 लाख वर्ष 2019-20 की देयता हेतु अर्थात कुल केन्द्रांश रू0-56588.71 लाख (रू0 पांच अरब पैसठ करोड़ अट्ठासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाये। धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/संबंधित नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(2) यह योजना शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित है। अतः केन्द्रांश प्राप्त होने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि का समायोजन किया जायेगा तथा अपेक्षित केन्द्रान्श भारत सरकार से प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा। केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमावली के प्राविधानानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध म बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोजन न किया जाये और धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

(6) उपर्युक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83-लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति(के.100/रा.0-के.)- 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

संख्या-223/2019/4237(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
6-राज्य योजना आयोग-1/2
7-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in